न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **17/2013** (आवंटन निरस्ती)

1. श्री नरेन्द्रसिंह पिता श्री रूपसिंह जरफा राजपुत निवासी मजरा शोभावास, गॉव नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री चैनसिंह पिता श्री रूपसिंह जरफा राजपुत निवासी मजरा शोभावास, गॉव नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री अर्जुनसिंह पिता श्री रूपसिंह जरफा राजपुत निवासी मजरा शोभावास, गॉव नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री बाबुसिंह पिता श्री धनसिंह चदाना राजपुत निवासी शोभावास, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (एलोटमेंट ऑफ लेण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपजेज) रूल्स 1970 विरूद्ध ग्राम शोभावास, तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 1027 में से 0.8000 हैक्टर भूमि बाबुसिंह पिता धनसिंह चंदाना के नाम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1992 बमिसल 189 सन् 1992

उपस्थितः– 1. श्री मोहनलाल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः .....

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 01.06.1992 को मौजा शोभावास में स्थित आराजी संख्या 1027 में से 0.8000 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम नियमों, विधि एवं न्याय के सिद्धांतो के विपरीत आवंटित की हैं। उक्त आवंटन विधि अनुसार नहीं होकर केवल आवंटन करने की स्वीकृति दिये जाने की राय भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दी गई है, जिसे विधि अनुसार पारित आवंटन

आदेश नहीं माना जा सकता है, इस कारण आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। आवंटन कमेटी के अध्यक्ष उपखण्ड अध्किारी के हस्ताक्षर भी उक्त आवंटन पर नहीं है। आवंटन नियम 15 के उपनियम 1 के अनुसार उक्त आवंटन आदेश के एक माह की अवधि में आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया और आवंटी ने कलेक्टर महोदय के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन को प्रभावशील किये जाने का कोई निवेदन नहीं किया। दिनांक 30.11.1992 को आवंटीत भूमि का कब्जा आवंटी को दिये जाने की पटवारी की रिपोर्ट गलत, अवैध एवं नियम विरूद्ध हैं। आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1992 के पूर्व से करीब 15–20 वर्षो से प्रार्थीगण के पिता रूपसिंह पिता गुलाबसिंह जी जरका राजपुत निवासी नान्देशमा मजरा शोभावास का आवंटीत भूमि पर आधिपत्य चला आ रहा था और उक्त भूमि पर वक्त आवंटन प्रार्थीगण के पिताजी का ही कब्जा था और उक्त भूमि वक्त आवंटन कब्जे रहित होकर खाली नहीं थी, ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन खारीज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण के पिताजी का सन् 2007 तक उक्त भूमि पर कब्जा चला आया और सन् 2007 से प्रार्थीगण के पिताजी श्री रूपसिंह पिता श्री गुलाब सिंह जी घर से बाहर गये जो आज तक लापता है जिनकी अभी तक कोई खबर व सुचना नहीं हैं। प्रार्थीगण के पिताजी के लापता होने के समय से आजतक उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है, घास काट कर ले रहे है तथा प्रार्थीगण के पिताजी के समय का उक्त भूमि पर कच्चा मवेशी घर बना हुआ है जिसमें प्रार्थीगण की मवेशियॉ आज भी प्रार्थीगण द्वारा बांधी जा रही हैं। भूमि पर कांटो व पत्थरो की बाउण्ड्री बनी हुई हैं। प्रार्थीगण के पिताजी एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त भुमि को भारी शारीरिक मेहनत, मजदूरी कर काबिल काश्त बनाया है और काफी आर्थिक लागत लगाकर उक्त भूमि को आबादान कर उपजाउ बनाई है तथा कृषि योग्य बनाई हैं। उक्त भूमि पर मक्की, उड़द आदि फसल की बुवाई की है इसलिये आवंटन नियम 20 के अन्तर्गत पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के पिताजी के ही आवंटित होनी चाहिये थी जिसकी अनदेखी कर विपक्षी संख्या 1 के नाम आवंटन करने में भारी भुल फरमायी गई हैं। उक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 ने कपट, दुर्व्यपदेशन एवं धोखे से करवाया हैं। विपक्षी संख्या 1 ने अपने आवंटन प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 1 के पास अपनी खातेदारी में दर्ज सम्पुर्ण भूमि का विवरण अंकित नहीं किया हैं। विपक्षी संख्या 1 के पास काफी भूमि खातेदारी में दर्ज थी और विपक्षी भूमिहीन काश्तकार नहीं था। आवंटन सलाहकार समिति को पटवारी हल्का द्वारा मौके की सही वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश नहीं करने की वजह से तथा आवंटन सलाहकार समिति व उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौके पर नहीं जाकर कार्यालय में बैठकर अलोटमेंट करने की वजह से यह बड़ी भारी भुल हुई है जबकि आवंटन सलाहकार समिति व उपखण्ड अधिकारी को मौके पर जाकर आवंटीत की जाने वाली आराजी का मौका देखकर आवंटन करना चाहिये था लेकिन आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त प्रक्रिया को नहीं अपनाया है इसलिये आवंटन खारीज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 के नाम आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1992 निरस्त फरमाया जावें तथा आराजी संख्या 1027 में से 0.8000 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होने से प्रार्थीगण के नाम आवंटीत या रेगुलाईज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस संलग्न किया गया। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपस्थित हो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र 14(4) एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया हैं।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के 14(4) के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी को भुमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा 21 वर्ष बाद जानबुझकर भूमि आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत गया हैं। कथित आवंटन, आवंटन कमेटी के पुरे कोरम की राय से किया गया हैं। आवंटन के पश्चात् आवंटी को आवंटीत भुमि का कब्जा भी सौंपा गया जिसपर आज भी आवंटन से आजदिनांक तक आवंटी का कब्जा हैं। कब्जा सिपुर्दगी का मौका पर्चा भी बनाया गया। उसके आधार पर किसी भी आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण ने आवंटीत भुमि पर अपना कब्जा होने की बात गलत कही हैं एवं प्रार्थीगण को ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानुनन अधिकार नहीं हैं। यह भूमि अनऑक्युपाईड लैण्ड थी जिसे नियमानुसार आवंटन किया गया। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि 2007 तक प्रार्थीगण के पिता का कब्जा चला आ रहा था उसके बाद प्रार्थीगणो का कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण के पिता लापता हो जाने से प्रार्थीगण का कब्जा हैं। विपक्षी बहुत ही गरीब व्यक्ति होकर गॉव का काश्तकार हैं, सद्भाविक कृषक हैं। प्रार्थीगण पैसेवाले व्यक्ति होकर चालाक चतुर व होशियार आदमी हैं। वे विपक्षी संख्या 1 को कहते है कि आधी जमीन हमे दे दो नहीं तो हम तुम्हारा पुरा आवंटन ही निरस्त करवा देंगे। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि राजस्व अधिकारीयों से मिलकर उक्त भुमि का आवंटन करवा लिया गया। जबकि विपक्षी संख्या 1 सीधा सादा व्यक्ति होकर वह किसी को जानता तक नहीं हैं। वह गरीब भुमिहीन काश्तकार हैं। उसके हक में किया गया आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सारी बाते मनगढंत व बनावटी लिखी हैं। प्रार्थीगणो को कथित आवंटन की जानकारी सन् 1992 में ही हो चुकी हैं तथा उन्होने जानबुझकर 21 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं कि व 21 वर्ष बाद कथित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो किसी भी सुरत में चलने योग्य नहीं हैं। साथमें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 की भी जवाब प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि 21 वर्ष की अवधि किसी भी सुरत में कण्डोन नहीं की जा सकती हैं। यहॉ तक की सुप्रीम कोर्ट ने भी यह तय किया है कि आवंटन के 20 वर्षो बाद किसी भी आवंटन को निरस्त नहीं करना चाहिये। अतः प्रार्थीगण का मियाद कण्डोन का प्रार्थना पत्र खारीज कराना फरमावें।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 का भी जवाब संलग्न हैं। विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि विपक्षी को भुमि का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार किया गया हैं। जिसमें आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत कानुनी प्रक्रिया का पालन कर ही आवंटन किया हैं। आवंटी को भुमि का नियमानुसार कब्जा भी सिपुर्द किया गया हैं। परन्तु वर्तमान में आवंटीत भुमि पर कब्जा आवंटी का नहीं हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 के नाम जो आवंटन मौजा शोभावास के आराजी संख्या 1027 मेंसे 0.8000 हैक्टर का किया गया है वह विधिनुसार पारित आवंटन आदेश नहीं माना जा सकता हैं। आवंटन नियमो की पूर्ण पालना नहीं की गई हैं। नियमो एवं कानुनी प्रक्रिया की पूर्ति के अभाव में किये गये आवंटन खारीज योग्य हैं। आवंटन आदेश पर अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। तीन माह की अवधि में आवंटी को आवंटीत भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। पटवारी की रिपोर्ट गलत, अवैध एवं नियमो के विरूद्ध हैं। आज तक आवंटीत भूमि पर कब्जा प्रार्थीगणो का ही हैं। प्रार्थीगण के पिताजी एवं प्रार्थीगणो का उक्त भुमि पर लगातार 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थीगणो द्वारा इस भूमि को काफी लागत, मेहनत से आबादान का उपजाउ बनाया गया हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगणो द्वारा काश्त की जा रही हैं। आवंटन नियम 20 के अन्तर्गत पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के पिताजी को ही भूमि का आवंटन होना चाहिये था। आवंटन प्रार्थनापत्र में विपक्षी संख्या 1 के पास अपनी खातेदारी में दर्ज सम्पूर्ण भूमि का विवरण अंकित नहीं किया हैं। विपक्षी संख्या 1 के पास काफी भूमि खातेदारी में दर्ज थी और विपक्षी भूमिहीन काश्तकार नहीं था। विपक्षी द्वारा कपट, दुर्व्यपदेशन एवं धोखे से उक्त आवंटन करवाया गया हैं। आवंटीत भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के पिता ने उक्त भुमि अपने नाम आवंटन किये जाने हेतु निवेदन किया फिर भी प्रार्थीगण के पिता को उक्त भुमि आवंटीत नहीं की गई। इस भूमि के संबंध में धारा 91 की कार्यवाही भी चली जिसकी पैनाल्टि भी जमा करवायी गई। इससे भी साबित होता है कि इस भूमि पर कब्जा प्रार्थीगणो का ही हैं। आवंटन सलाहकार समिति का पूर्ण कोरम नहीं होते हुए भी भूमि का आवंटन किया गया जिससे भी यह आवंटन निरस्त योग्य हैं। अतः उक्त आवंटीत भूमि का निरस्तीकरण किया जाकर कब्जा प्रार्थीगणो का होने से भूमि का आवंटन या रेगुलाईजेशन किये जाने का आदेश प्रदान करे। साथही अपने प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दिनांक 01.06.92 से दिनांक 05.07.13 तक की मियाद अवधि कण्डोन की जावें। क्योंकि प्रार्थीगण को इसका ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 06.06.13 को प्रार्थीगणो के कब्जेशुदा उक्त भुमि पर आमादा फसाद होकर कब्जा करने का प्रयास किया हैं। तो इसका ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही तत्काल पता लगाकर नकले प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अपनी बहस की ताईद में RRD Jan., 2005 page 21, RBJ (12) 2005 page 488, RRD Oct., 2007 page 719, की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 01.06.92 को शोभावास में स्थित आराजी संख्या 1027 में से रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि का आवंटन, आवंटन कमेटी के पूर्ण कोरम की राय से आवंटन की पूर्ण विधिवत कानुनी एवं नियमो की प्रक्रिया के तहत आवंटन समस्या समाधान शिविर, नान्देशमा में सरे मजमे आम में किया गया। विपक्षी के आवंटन के साथ में पटवारी मण्डल के और काश्तकारो को भी भूमि का आवंटन किया गया। वर्ष 1992 में राज्य सरकार द्वारा राजस्व संबंधी काश्तकारो के लम्बित कार्यो को निपटाने हेतु सभी तहसील स्तरो पर समस्या समाधान शिविरो का आयोजन किया गया। प्रत्येक शिविर प्रभारी को उपखण्ड

अधिकारी की शक्तियों का हस्तान्तरण राज्य सरकार द्वारा किया गया था। उन्ही शक्तियों के साथ उपखण्ड अधिकारी के बजाय आवंटन सलाहकार समिति के प्रभारी अधिकारी, समस्या समाधान शिविर द्वारा मुख्यालय नान्देशमा पर अध्यक्ष की हैसियत से कमेटी का गठन कर आवंटन किया गया। आवंटन कमेटी का कोरम पुर्ण था। जहॉ तक विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह आरोप लगाया है कि विपक्षी द्वारा भूमि का आवंटन कपट, दुर्व्यपदेशन व धोखे से करवाया गया हैं। परन्तु इस कथन के संदर्भ में यह नहीं बताया गया है कि किस प्रकार से विपक्षी द्वारा आवंटन कपट, दुर्व्यपदेशन व धोखे से करवाया गया हैं। जहॉ तक इस भूमि पर इनके पिताजी के समय कब्जा होकर धारा 91 की कार्यवाही चली हो तो आराजी संख्या 1027 का रकबा 1.4250 हैक्टर होकर बहुत बड़ा रकबा था। जिसमें से बहुत कम रकबा विपक्षी को आवंटन हुआ हैं। इनका कब्जा इस आराजीयात पर अन्य स्थान पर भी रहा होगा। परन्तु आवंटन कमेटी द्वारा यह भूमि रिक्त होकर विपक्षी गरीब व भूमिहीन होकर सद्भाविक काश्तकार होने से इसे भूमि का आवंटन किया गया हैं। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि विपक्षी वक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार नहीं था। पटवारी द्वारा इसके खाते में कितनी भूमि थी जिसकी रिपोर्ट नहीं की गई जबकि प्रार्थीगण के आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा नियमानुसार प्रार्थी के खाते की भूमि का अंकन किया हैं। जिसमें यह लिखा है कि स्वयं के नाम तथा उपरोक्त हिस्सा मिलाकर आवेदक के पास कुल 1.0800 हैक्टर भूमि हैं। पटवारी द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया आराजी उद्घोषणा में हैं। 21 वर्ष बाद जानबुझकर विपक्षी को परेशाचन करने के लिये आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। बिलानाम सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से किसी प्रकार के स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जितने भी कथन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये है वे सारे कथन मिथ्या व झूठे हैं। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगणो द्वारा इस आवंटीत भूमि में से आधी भूमि चाही जा रही हैं। विपक्षी द्वारा मना करने पर ऐसे मनगढंत तथ्य अंकित कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज करना फरमावें। अपने कथनो की ताईद में RRT 2007 (2) P. 1194, RRT 2011(1) P. 383, RRT 2006(2) P. 1220, RRT 2006 (2) P. 1171, RRT 2006-07 (Supp.) P. 382, RRT 2010(1) P. 157 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज में विपक्षी संख्या 2 के जवाब के अनुसार विपक्षी को भुमि का आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत कानुनी प्रक्रिया का पालन कर किया जाना बताया गया हैं। साथही यह भी बताया गया है कि आवंटीत भूमि वक्त आवंटन कब्जा रहीत होने से आवंटीत की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रस्तुत दस्तावेज में आवंटन पत्रावली की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसका अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि विपक्षी को भूमि का आवंटन समस्या समाधान शिविर के तहत हुआ हैं। जिसमें शिविर प्रभारी को समस्त उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का हस्तान्तरण राज्य सरकार द्वारा शिविर अवधि के दौरान किये जाते रहे हैं। आवंटन के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सिपुर्द भी किया गया हैं। कब्जा सिपुर्दगी का ट्रेस भी बनाया गया हैं एवं विपक्षी को आवंटीत भूमि का पट्टा भी विधिवत उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा जारी किया गया हैं। प्रार्थी का कथन किया है कि

इस भूमि पर हमारे पिताजी के समय से ही कब्जा होकर नाजायज कब्जे की कार्यवाही तहसील कार्यालय गोगुन्दा से हुई थी जिसकी हमारे द्वारा पैनाल्टी भी जमा करवायी गई थी। इस आवंटीत आराजीयात का रकबा बड़ा होकर कुल रकबा 1.4200 हैक्टर हैं। जिसमें से विपक्षी को मात्र 0.8000 हैक्टर भूमि का आवंटन हुआ। जो विपक्षी संख्या 2 के जवाब के अनुसार आवंटन के समय यह आवंटीत भूमि आवंटन रहीत थी। यानिकी इस आवंटीत भूमि पर प्रार्थीगणो के पिता का कब्जा नहीं था। जहॉ तक प्रार्थी का यह कथन कि विपक्षी द्वारा भूमि का आवंटन कपट, दुर्व्यपदेशन व धोखे से करवाया गया हैं इस संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है कि किस प्रकार से कपट अथवा दुर्व्यपदेशन से विपक्षी द्वारा आवंटन प्राप्त किया गया हैं। प्रार्थी का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि विपक्षी भूमिहीन नहीं था। उसके खाते में पूर्व से ही भूमि अंकित थी। उसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत नहीं कि गई है जिससे यह ज्ञात होता हो कि विपक्षी भूमिहीन नहीं होकर आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। वक्त आवंटन जो भी उसके खाते में भूमि थी उसका अंकन पटवारी द्वारा अपनी जॉच में आवंटन प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया हैं। प्रार्थीगण का यह कथन भी वर्तमान में इस भूमि पर कब्जा विपक्षी का नहीं होकर प्रार्थीगणो का है इसलिये आवंटन निरस्त किया जावें। महज विपक्षी की आवंटीत भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होने से विपक्षी की आवंटीत भूमि को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। जहॉ तक आवंटी द्वारा आवंटन के समय कोरम पुर्ण नहीं होने का प्रश्न है तो इस प्रकार की तकनीकि त्रुटी मात्र के आधार पर पुराने आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में कोरम पूर्ण था। 21 वर्ष के अप्रत्यक्ष विलम्ब से आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना भी न्यायोचित नहीं हैं। जहॉ तक प्रार्थीगणो का इस राजकीय भुमि पर अतिक्रमण रहा हो तो वे अतिक्रमी माने गये थे एवं उनके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की गई थी। राजकीय भूमि पर अतिक्रमित व्यक्ति का कोई लोकस नहीं बनता हैं। तथा अतिक्रमित भूमि भी रिक्त भूमि मानकर आवंटीत की गई हैं। जहॉ तक विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा भी अपने जवाब में अंकित किया है कि वक्त आवंटन, आवंटीत भूमि रिक्त थी। वर्तमान में इस भूमि पर कब्जा प्रार्थीगणो का हैं। प्रार्थीगणो के कब्जे में भूमि होने से ना तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है नाही प्रार्थीगणो को कोई अनुतोष दिया जा सकता हैं। वर्तमान कब्जे के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को विधिवत आवंटन हुई भूमि को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर